रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233770
CG-DL-E-28022022-233770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
No. 162] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 165(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 में, -

(i) नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**11. वेतन और भत्ते** – (1) अध्यक्ष के पास घर और कार के बिना चार लाख पचास हजार रुपये का समेकित मासिक वेतन प्राप्त करने या भारत सरकार के एक सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते प्राप्त करने का विकल्प होगा

और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य के पास घर और कार के बिना चार लाख रुपये का समेकित मासिक वेतन या भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते प्राप्त करने का विकल्प होगा।

परन्तु यदि अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने के विकल्प को चुनता है और एक पूर्णकालिक सदस्य भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने के विकल्प को चुनता है और केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, यथास्थिति, उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि में से कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि 12 जुलाई, 2021 को जारी विज्ञापन के आधार पर हुई नियुक्तियों के संदर्भ में, यदि एक पूर्णकालिक सदस्य भारत के अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने के विकल्प को चुनता है और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने पर भारत सरकार के सचिव की सेवानिवृत्ति से पूर्व अनुज्ञेय वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहा था तो वेतन 2,25,000/- रुपये प्रतिमाह की सीमा के अध्यधीन उस स्तर पर तय किया जाएगा जो वह अपने पिछले रोजगार को छोड़ते समय प्राप्त कर रहा था।

(ii) नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**15. गृह किराया भत्ता** – (1) अध्यक्ष या एक पूर्णकालिक सदस्य, जिसने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव के लिए अनुज्ञेय वेतन और भत्तों का विकल्प चुना है, यथास्थिति उसी दर पर गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' पद धारक समान वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है।

परन्तु यदि अध्यक्ष या एक पूर्णकालिक सदस्य उन्हें आवंटित सामान्य पूल रिहायशी आवास का अधिभोग कर रहा है या अधिभोगी है तो उस स्थिति में गृह किराया भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) यह नियम उन अध्यक्ष या किसी ऐसे पूर्णकालिक सदस्य जिन्होने यथास्थिति चार लाख पचास हजार रुपए प्रतिमाह या चार लाख रुपए प्रतिमाह, के समेकित वेतन के विकल्प को चुना है पर लागू नहीं होगा।";

(iii) नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**16. परिवहन भत्ता** – (1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जिन्होने यथास्थिति भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव, को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते का विकल्प चुना है, वह सरकारी और निजी उद्देश्यों के लिए यात्रा हेतु स्टाफ कार नियमों के प्रावधानों के अनुसार समान वेतन वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'क' पद धारक अधिकारी के लिए अनुज्ञेय स्टाफ कार की सुविधाओं का हकदार होगा।";

(2) यह नियम उन अध्यक्ष या किसी ऐसे पूर्णकालिक सदस्य जिन्होने यथास्थिति चार लाख पचास हजार रुपए प्रतिमाह या चार लाख रुपए प्रतिमाह, के समेकित वेतन के विकल्प को चुना है पर लागू नहीं होगा।";

(iv) नियम 18 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1) अध्यक्ष या एसे पूर्णकालिक सदस्य जिन्होने यथास्थिति भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते का विकल्प चुना है, जिसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध इन नियमों में नहीं बनाए गए हैं, की सेवाओं के निबंधन और शर्तें वही होंगे, जो समान वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के रूप में पदधारित अधिकारी के लिए लागू हैं।

[फा. सं. एनएफआरए-01/2/2021-कॉम्प-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (3) में सा.का.नि. 262(अ), दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 125(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called The National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018,-

(i) for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"**11. Salary and allowances. -** (1) The Chairperson shall have the option to draw either a consolidated monthly salary of four lakh fifty thousand rupees without house and car or the pay and allowances as are admissible to a Secretary to the Government of India and every full time member shall have the option to draw either a consolidated monthly salary of four lakh rupees without house and car or the pay and allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that where the Chairperson exercises the option to receive pay as admissible to a Secretary to the Government of India or a full time member exercises the option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India and is in receipt of monthly pension from either the Central Government or a State Government, the pay of such Chairperson or Member, as the case may be, shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him:

Provided also that in respect of appointments made on the basis of advertisement issued on 12th July, 2021, where a full time member exercises the option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India and was in receipt of pay and allowances as are admissible to a Secretary to the Government of India prior to his or her superannuation on joining as full time member, National Financial Reporting Authority, then the same shall be fixed at the level of pay which he or she was drawing at the time of demitting his or her previous employment, subject to a limit of Rs. 2,25,000/- per month.";

(ii) for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:-

"**15. House rent allowance**.- (1) The Chairperson or a full time member, who has opted for pay and allowances as are admissible to a Secretary or an Additional Secretary to the Government of India, as the case may be, shall be entitled to house rent allowance at the same rate as is admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay:

Provided that the Chairperson or a full-time member shall not be eligible for house rent allowance in case he is in occupation of, or occupies, a General Pool Residential Accommodation which has been allotted to him:

(2) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson or a full-time member who has opted for a consolidated salary of four lakh fifty thousand rupees per month or four lakh rupees per month, as the case may be." ;

(iii) for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"**16. Transport Allowance.-**(1) The Chairperson or a full time member, who has opted for pay and allowances as are admissible to a Secretary or an Additional Secretary to the Government of India, as the case may be, shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of applicable staff car rules.

(2) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson or a full-time member who has opted for a consolidated salary of four lakh fifty thousand rupees per month or four lakh rupees per month, as the case may be." ;

(iv) in rule 18 for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The terms and conditions of service of a chairperson or a full time member who has opted for pay and allowances as are admissible to a Secretary or an Additional Secretary to the Government of India, as the case maybe, with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be such as are applicable to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying the same pay."

[F. No. NFRA-01/2/2021-Comp-MCA]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 vide number G.S.R. 262(E), dated 21st March, 2018 and was amended vide GSR 125(E), dated 18th February, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.02.28 22:49:38 +05'30'